तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनीशियल्स जज	अहकाम की ... की तामील में ...
27/6/17	मृतक के पुत्र वादी हेमराज, प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश तथा पुत्री मीरा प्रतिवादी संख्या-3 को छोड़ा है इसलिए वादी द्वारा चाहा गया खातेदारी अधिकार स्वत: ही वादी के पिता रामलाल की मृत्यु के बाद प्राप्त होगे इसलिये वाद वादी को आगे चलाना उचित नहीं समझते है। अत: वाद वादी, प्रतिवादी सं. 1 वादी के पिता की मृत्यु होने के कारण स्वत: ही खातेदार नामान्तकरण विरासतन होना है इसलिए वाद खारिज किया जाता है वादी अपने पिता की आराजीयात के विरासतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कार्यवाही स्वयं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी से जमा हो।	

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर)